



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 434 राँची, गुरुवार,

10 सितम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

30 जुलाई, 2020

संख्या-5/आरोप-1-103/2016-8137 (HRMS)-- श्रीमती नमिता नलिनी बाखला, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-776/03, गृह जिला-गुमला), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूँटी, सम्प्रति-निलंबित के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1677, दिनांक 25.07.2016 द्वारा मनरेगा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में डोभा निर्माण एवं योजनाओं के कार्यान्वयन में विभागीय निर्देशों का उल्लंघन, कार्य में लापरवाही एवं सरकारी सेवक के रूप में कर्तव्य का पालन नहीं करने संबंधी आरोप प्रपत्र-‘क’ में गठित कर उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7469, दिनांक 29.08.2016 द्वारा श्रीमती बाखला से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्रीमती बाखला के पत्रांक-1281, दिनांक 04.11.2016 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्रीमती बाखला द्वारा अपने स्पष्टीकरण निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

(i) उपायुक्त महोदय के निदेशानुसार योजना बनाओ अभियान में सृजित डोभा हेतु आवेदन को भूमि संरक्षण विभाग द्वारा डोभा निर्माण हेतु दे दिया गया था। आवेदन 278 डोभा निर्माण का था, जो खूँटी प्रखण्ड के लिए नकारात्मक सिद्ध हुए, क्योंकि यदि 278 आवेदन भूमि संरक्षण को हस्तांतरित

नहीं किये जाते तो हमारा Achievement 60% से उपर ही होता, चूँकि भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा डोभा निर्माण का कार्य पहले प्रारंभ किया गया। सभी मुखियाओं ने मशीन द्वारा डोभा निर्माण के कार्य में खूब रुचि ली, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए मुखिया लोगों ने मनरेगा डोभा को उपेक्षित किया। अन्य जिलों में भूमि संरक्षण विभाग के डोभा निर्माण को कोई महत्व नहीं दिया गया था, जिस कारण मनरेगा अन्तर्गत डोभा निर्माण की योजना को सफलता मिली।

(ii) ग्राम पंचायत मारंगहादा, डाडीगुट्ट, तिलमा एवं लान्दूप चार पंचायतों में चोरी- छिपे अफीम की खेती की जाती है। इस कारण इन चार पंचायतों में ग्रामीण मजदूरी का काम नहीं करना चाहते हैं।

(iii) खूँटी प्रखण्ड में कुल 51 पूर्ण खूँटकट्टी ग्राम है तथा 108 मिश्रित खूँटकट्टी ग्राम है, जिसके कारण आम ग्रामीण, मुण्डा की भूमि पर खेती करते हैं तथा उनकी अपनी जमीन नहीं रहने के कारण डोभा निर्माण करने में असमर्थ रहें।

(iv) खूँटी प्रखण्ड सी0एफ0टी0 प्रखण्ड है। सी0एफ0टी0 द्वारा खूँटी प्रखण्ड के बारह पंचायतों में सात पंचायतों में वे कार्य करते हैं, परन्तु उनके कोशिशों के बावजूद ज्यादा लक्ष्य प्राप्ति के परिणाम में कोई खास परिवर्तन नहीं हो सका।

श्रीमती बाखला द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-688, दिनांक 20.01.2017 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गयी। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-759, दिनांक 19.02.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया।

(i) राज्य के सभी प्रखण्डों के भूमि संरक्षण विभाग एवं मनरेगा अन्तर्गत डोभा निर्माण कराया जाना था, परन्तु श्रीमती बाखला द्वारा मनरेगा अन्तर्गत डोभा निर्माण में अभिरुचि नहीं लिये जाने के कारण मनरेगा अन्तर्गत खूँटी प्रखण्ड में डोभा निर्माण योजना के लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि नगण्य है।

(ii) श्रीमती बाखला का यह कथन कि ग्राम पंचायत मारंगहादा, डाडीगुट्ट, तिलमा एवं लान्दूप चार पंचायतों में चोरी छिपे अफीम की खेती मजदूरों द्वारा की जाती है, मजदूर काम करना नहीं चाहते हैं, के संबंध में कहना है कि प्रशासनिक पदाधिकारी की हैसियत से इस संबंध में उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं गई।

अगर चोरी छिपे अफीम की खेती मजदूरों के द्वारा की जा रही थी तो इस संबंध में उनको किसी वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी जानी चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं किया गया।

(iii) खूँटकट्टी ग्राम में मुण्डा के जमीन पर डोभा निर्माण पर कोई रोक नहीं था। अतः यह तर्क स्वीकार्य योग्य नहीं है।

श्रीमती बाखला के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त, विभागीय पत्रांक-86, दिनांक 29.01.2018 जिसके द्वारा श्रीमती नमिता नलिनी बाखला, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूँटी, को निलंबित किया गया था, को निलंबन से मुक्त करते हुए “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	NAMITA NALINI BAXLA BHR/BAS/3581	श्रीमती नमिता नलिनी बाखला, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-776/03, गृह जिला-गुमला), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूँटी, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त करते हुए “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
